न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 14/2016

चैनाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
2. धापी पत्नी धनराज
3. अमरचन्द
4. गौरीशंकर
5. रणजीत
6. रामनारायण पुत्र मोटाराम

पुत्रगण धनराज जाति जाट निवासी रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2015

उपस्थितिः—

श्री प्रमेन्द्र भाटी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 209 का आशाराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि वादी के पिता पोकरराम तथा ताऊ मोटाराम को रोही रतासर के ख.नं. 31 में 19 बीघा व 22 में 110.18बीघा आवंटन थी तथा कालांतर में उक्त भूमि सांझे खाते में खातेदारी की गई। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से ख.नं. 31 की 2.655है. भूमि कम करते हुए शेष भूमि नवीन खसरों में पैमूद कर खातेदारी अधिकार दिये गये। ख.नं. पुराना 31 नया 568/321 की 2.655है. भूमि प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2 के नाम दिनांक 29.11.82 को आवंटन कर दी गई तथा बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये, जबकि कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादीगण का चला आ रहा है।

साथ ही प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2 ख.नं. 304 की 2.655है. भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए ख.नं. 568/21 की एवज में ख.नं. 304 की 2.655है. भूमि प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2 की खातेदारी में घोषित की जाए। अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार करते हुए वाद पत्र की अनुतोष की मद सं. क, ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण/रेस्पों. सं. 2 से 6 ने इकबाली जबाब दावा पेश कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 06.11.2015 को वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा अपने वाद को साक्ष्य से साबित किया था, फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। प्रतिवादीगण ने वाद को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद वादी डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ख.नं. 304 की 2.277है. भूमि रकबा राज है। इस पर रेस्पों. सं. 2 का कोई हक हकूक नहीं है। वादी/अपीलांट द्वारा वाद में यह साबित नहीं किया कि पूर्व में उक्त भूमि ख. नं. 538/321 वादी/उसके पूर्वजों के नाम अंकित रही हो। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा पेश करने से दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधी. न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में ख.नं. 568/321 की भूमि रेस्पों. सं. 2 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा न तो अधी. न्यायालय और न ही इस न्यायालय में ऐसा

कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त भूमि वादी के पूर्वजों/वादी को आवंटित रही हो। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र रेस्पों. के इकबाली जबाब के आधार पर रेस्पों. सं. 2 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में वादी/अपीलांट व रेस्पों. सं. 3 से 6(प्रतिवादीगण) को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना खातदेारी अधिकारों के हस्तांतरण के समरूप होगा। खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण राज.काश्त.अधि. 1955 एवं सम्पति अंतररण अधि. की पालना में ही सम्भव है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति व इकबाल दावे के आधार पर इस वाद में इस प्रकार की राहत देना विधि के प्रावधानों के पूर्णतया खिलाफ है एवं ऐसा कोई प्रावधान राज.काश्त.अधि. में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने ख.नं. 568/321 के सम्बन्ध में वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसी प्रकार ख.नं. 304 जो कि जमाबन्दी में आराजी राज दर्ज है पर कब्जे काश्त के बाबत कोई खसरा परिवर्तनशील पी.–14 प्रस्तुत नहीं हुई है। यदि किसी व्यक्ति का कोई अतिचारी के रूप में सरकारी भूमि पर कब्जा भी हो तो भी राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत इस प्रकार के अतिचारी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं जबकि इस प्रकरण में ख.नं. 304 पर कब्जे काश्त का कोई ठोस प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस ख.नं. 304 की भूमि पर दावे के विवरण व इकबाल जबाब दावे से रेस्पों. सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कतई सम्भव नहीं था एवं यह मांग स्वीकार्य नहीं होने से अधी. न्यायालय ने इसे अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उपर किये गये विवेचन अनुसार मात्र इकबाल दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये जाने से वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अतः अधी. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर